अनुबंध

प्रतिभूतीकरण लेनदेनों में ऋण वर्धन के पुनर्निर्धारण पर दिशानिर्देश

1. ऋण वर्धन अतिरिक्त प्रतिभूति/वित्तीय समर्थन के माध्यम से किसी संरचित वित्तीय लेनदेन की ऋण प्रोफाइल को उन्नत करने की प्रक्रिया है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में प्रतिभूतित आस्तियों पर होने वाली हानि की भरपाई की जा सके। ऋण वर्धनों को मोटे तौर पर दो प्रकारों अर्थात् आंतरिक ऋण वर्धन तथा बाह्य ऋण वर्धन में बांटा जा सकता है। जो ऋण वर्धन निवेशकों के लिए अंतर्निहित उधारकर्ताओं से इतर संस्थाओं में एक्सपोजर उत्पन्न करता है वह बाह्य ऋण वर्धन कहलाता है। उदाहरण के लिए नकदी संपार्श्विक तथा प्रथम/द्वितीय हानि गारंटी बाह्य ऋण वर्धन के रूप हैं। अधीनस्थ ट्रांचेज, अतिशय – संपार्श्विकरण, अतिरिक्त स्प्रेड, ऋण वर्धन करने वाली केवल - ब्याज स्ट्रिप्स ऋण वर्धन के आंतरिक रूप हैं।
2. पुनर्निर्धारण ऐसे ऋण वर्धन के बाह्य रूपों के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं जो उन थर्ड पार्टी या प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराए गए हों जो प्रथम या द्वितीय हानि स्थिति में हो। प्रतिभूतीकरण लेनदेन की शुरुआत के समय उपलब्ध कराई गई बाह्य ऋण वर्धन की राशि ऋण वर्धन उपलब्ध कराने वाले द्वारा पुनर्निर्धारित की जा सकती है बशर्ते नीचे बताई गई शर्तें पूरी होती हों।

(i) पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतियों की सभी बकाया ट्रांचेज की (ईक्विटी ट्रांचेज से इतर जिन्हें रेट नहीं किया जाता है) पुनः रेटिंग की जानी चाहिए। यदि इन प्रतिभूतीकरण स्थितियों की तुलना में किसी भी ट्रांच की रेटिंग में गिरावट आ गई है तो ऋण वर्धन के प्रथम पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि पिछले पुनर्निर्धारण के समय की रेटिंग की तुलना में किसी ट्रांच की रेटिंग में गिरावट आ गई है तो परवर्ती पुनर्निर्धारणों की अनुमति नहीं होगी।

(ii) यदि उक्त (i) के अनुसार पुनर्निर्धारण अनुमत है तो पहले पुनर्निर्धारण के लिए संबंधित रेटिंग एजेंसी [1] द्वारा मूल या मौजूदा बकाया रेटिंग के लिए ऋण वर्धन की आवश्यक राशि, जो भी अधिक हों, तय की जानी चाहिए। इसी प्रकार, तदनंतर होने वाले पुनर्निर्धारणों के लिए, पिछले पुनर्निर्धारण के समय की उच्चतर रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक ऋण वर्धन की राशि और मौजूदा बकाया राशि संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

(iii) ऋण वर्धन का पुनर्निर्धारण न्यासियों की सहमति के अधीन होगा।

(iv) ऋण वर्धन के पुनर्निर्धारण का प्रावधान लेनदेन की संविदात्मक शर्तों में किया जाना चाहिए तथा लेनदेन की आरंभिक रेटिंग में पुनर्निर्धारणों की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। <u>दिनांक 7 मई 2012 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 103/21.04.177/2011-12</u> के अनुसार जो लेनदेन पहले कर लिए गए हैं, उनका पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतियों के सभी निवेशकों की सहमति के अधीन किया जा सकता है। मई 2012 के दिशानिर्देशों के पूर्व किए गए लेनदेनों के संबंध में एमआरआर से संबंधित शर्त का पालन इस परिपत्र में उल्लिखित ऋण वर्धन (सीई) के पुनर्निर्धारण की अन्य शर्तों के अतिरिक्त करना होगा।

---

[1] केवल वही रेटिंग एजेंसी जिसने आरंभ में प्रतिभूतीकरण लेनदेन की रेटिंग की थी, ऋण वर्धन के पुनर्निर्धारण के लिए इसकी रेटिंग फिर से करेगी।

(v) पुनर्निर्धारण प्रथम हानि ऋण वर्धन (एफएलसीई) और द्वितीय हानि ऋण वर्धन (एसएलसीई) के बीच एक ही समय किया जा सकता है जिसका अनुपात इस प्रकार होगा कि पुनर्निर्धारण द्वितीय हानि ऋण वर्धन की बकाया रेटिंग (उक्त पैरा 2(ii) में दर्शाए गए अनुसार) बरकरार रहती है। तथापि, ईक्विटी ट्रांच का पुनर्निर्धारण अनुमत नहीं है क्योंकि यह आंतरिक ऋण वर्धन के समान हो जाएगा।

3. पुनर्निर्धारण की अनुमति देने से पहले अंतर्निहित ऋणों के समूह का कार्य-निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए। तदनुसार, ऋण वर्धन का पुनर्निर्धारण तथा संपार्श्विक/गारंटी/बाह्य ऋण वर्धन से संबंधित किसी अन्य एक्सपोजर का विमोचन निम्नलिखित के अनुसार परिभाषित समस्त शर्तों/ट्रिगरों के अनुपालन पर आधारित होना चाहिएः

क. प्रथम पुनर्निर्धारण के समय प्रतिभूतीकरण लेनदेन को शुरू करते समय प्रदत्त कुल मूलधन राशि का न्यूनतम 50% का परिशोधन हुआ रहना चाहिए [2] । बाद के पुनर्निर्धारण तब किए जाएं जब पूल मूलधन के मूल स्तर का कम-से-कम 60%, 70% और 80% तक परिशोधन हो जाए। तथापि, 5 वर्ष तक की अवधि तथा 5 वर्ष से अधिक अवधि के उत्तरोत्तर पुनर्निधारणों के बीच क्रमशः न्यूनतम छः माह तथा 1 वर्ष का अंतराल रखा जाना चाहिए।

ख. यदि 'डेलिंक्वेंसी ट्रिगर' का उल्लंघन हो जाए तो किसी प्रकार का पुनर्निर्धारण नहीं होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए डेलिंक्वेंसी ट्रिगर का उल्लंघन तब माना जाएगा यदि:

- 180 दिनों तक (2 वर्ष की समयावधि के लेनदेनों के लिए) अथवा 365 दिनों तक (2 वर्ष से अधिक समयावधि के लेनदेनों के लिए) सभी अतिदेयों [3]

  तथा

  बड़ी समयावधि (2 वर्ष तक की और 2 वर्ष से अधिक समयावधि के लेनदेनों के लिए क्रमशः 180 या 365 दिनों से अधिक) में जोखिम के अंतर्गत कुल मूल्य (अतिदेय तथा भावी बकाया मूलधन)

  तथा

  उक्त दो श्रेणियों में न शामिल होने वाली अन्य हानियों [4] (चाहे उनको राइट ऑफ किया हो या न किया हो)

  की कुल राशि

  'प्रथम हानि तथा द्वितीय हानि पोजीशन कवर [5] की परिशोधन समायोजित राशि' के 50% से अधिक हो जाती है।

  तथा

- 180 दिनों तक (2 वर्ष की समयावधि के लेनदेनों के लिए) और 365 दिनों तक (2 वर्ष से अधिक समयावधि के लेनदेनों के लिए) सभी अतिदेयों

---

[2] परिशोधन का तात्पर्य है मूलधन, यदि कोई हो तो उसकी, चुकौती और राइट ऑफ।

[3] 'अतिदेय' का मतलब है सही किस्तों (मूलधन व ब्याज) का योग जो देय हो चली हैं तथा जिनकी उधारकर्ता द्वारा सर्विस नहीं की गई है अर्थात् वह राशि जो भुगतान के लिए देय हो गई है लेकिन उधारकर्ता द्वारा चुकाई नहीं गई है।

[4] 'अन्य हानियों' का मतलब है वे सभी हानियां/कमियां जो उजागर हुई हैं जैसे कि पुनर्प्राप्त की गयी आस्तियों के विक्रय पर हानियां या अन्य घटनाएं जिनके कारण 180 दिनों अथवा 365 दिनों, जैसा भी मामला हो, की विनिर्दिष्ट अतिदेय अवधि के पूरा होने से पहले ही संबंधित रेटिंग एजेंसी की नजर में खाते अवसूलनीय हो जाते हैं।

[5] प्रथम हानि और द्वितीय पोजीशन कवर की परिशोधन समायोजित राशि वह है जो 'प्रतिभूतीकरण लेनदेन करते समय उपलब्ध प्रथम हानि और द्वितीय पोजीशन कवर की मूल राशि' में 'पहले ही परिशोधित हो चुके मूलधन के प्रतिशत' का गुणा करने पर प्राप्त होती है।

तथा

बड़ी समयावधि (2 वर्ष तक की और 2 वर्ष से अधिक समयावधि के लेनदेनों के लिए क्रमशः 180 या 365 दिनों से अधिक) में जोखिम के अंतर्गत कुल मूल्य (अतिदेय तथा भावी मूलधन बकाया)

तथा

उक्त दो श्रेणियों में न शामिल होने वाली अन्य हानियों जिनको राइट ऑफ न किया हो

की कुल राशि

'उपलब्ध प्रथम हानि तथा द्वितीय हानि पोजीशन कवर'[6] के 50% से अधिक हो जाती है।

4. अतिरिक्त ऋण वर्धन निम्नलिखित शर्तों के अधीन मुक्त किया जा सकता हैः

क. लेनदेन के समय उपलब्ध कराए गए आरंभिक ऋण वर्धन के प्रतिशत के रूप में न्यूनतम आरक्षित निधि ऋण वर्धन को मुक्त करने की शर्त होगी। न्यूनतम निधि की शर्त लेनदेन की संरचना पर आधारित हो सकती है जो आस्ति के प्रकार, मूल ऋणदाता के पिछले इतिहास तथा किसी पूल (समूह) में दीर्घकालिक संविदाओं के जमाव जैसे अन्य पूल विशिष्ट कारकों पर निर्भर करेगी तथा यह किसी भी मामले में आरंभिक ऋण वर्धन के 30% से कम नहीं होगी।

ख. उक्त पैरा 4(क) में इंगित न्यूनतम आरक्षित निधि की अपेक्षा को पूरा करने की शर्त पर किसी भी समय उक्त पैरा 2(ii) में संदर्भित किए गए अनुसार सभी ट्रांचेज की क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखने के लिए अपेक्षित ऋण वर्धन के अतिरिक्त ऋण वर्धन के अधिकतम 60% को मुक्त करने पर विचार किया जा सकता है।

ग. पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप प्रवर्तकों द्वारा दिए जा रहे ऋण वर्धन के साथ-साथ प्रवर्तकों द्वारा बरकरार रखे गए एक्सपोजर भारतीय रिज़र्व बैंक के 07 मई 2012 के प्रतिभूतीकरण दिशानिर्देश के भाग क पैरा 1.3.1 में निर्धारित एमआरआर के स्तर से नीचे नहीं होना चाहिए। मई 2012 के संशोधित दिशानिर्देशों के जारी होने से पूर्व आरंभ किए गए प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के संबंध में, पुनर्निर्धारण की सुविधा प्राप्त करने के लिए एमआरआर अपेक्षा का पालन अवश्य होना चाहिए।

---

[6] उपलब्ध प्रथम हानि और द्वितीय पोजीशन कवर प्रथम हानि और द्वितीय पोजीशन कवर की वह राशि है जो हानियों के किसी पूर्व के पुनर्निर्धारण अथवा अवशोषण के बाद शेष बचती है।

पूंजी ढांचा	रेटिंग	करोड़ रुपये
वरिष्ठ ट्रांशी	एएए	1000
द्वितीय हानि ऋण वर्धन (एसएलसीई)	बीबीबी	50
प्रथम हानि ऋण वर्धन (एफएलसीई)	एनआर*	150

तुलन पत्र लेनदेन			
देयताएं		आस्तियां	
वरिष्ठ ट्रांशी (पीटीसी)	1000	प्राप्य राशियां	1000
एफएलसीई + एसएलसीई	200	आरक्षित निधियों	
	1200		**1200**

* जिसकी रेटिंग नहीं की गई

क्र. सं.	परिपत्र पैरा सं.	ब्योरे		अनुपालन		गैर-अनुपालन	
1.		**शुरुआती लेनदेन के समय स्थिति**					
				परिस्थिति I		**परिस्थिति II**	
1		**अंतरित ऋणों की राशि (मूल पूल मुख्य राशि)**		**1000**			
2		**जारी किये गये पीटीसी की रकम**		**1000**			
3		**रेटिंग्स** क. वरिष्ठ ट्रांश ख. एसएलसीई ग. एफएलसीई		**एएए** **बीबीबी** **एनआर**			
4		**मूल ऋण वर्धन**					
क		**प्रथम हानि ऋण वर्धन की राशि**		**150**			
		क. मूल ऋणदाता द्वारा ख. तृतीय पक्षों द्वारा	50% 50%	75 75			
ख		द्वितीय हानि ऋण वर्धन की राशि क. मूल ऋणदाता द्वारा ख. मूल ऋणदाता द्वारा	 50% 50%	**50** 25 25			
5		**एमआरआर (100 का 10%) के भाग के रूप में मूल ऋणदाता द्वारा निवेश** **क. प्रथम हानि** **ख. वरिष्ठ ट्रांश**	 **75** **40**	**115**	एमआरआर जिसका पालन किया गया		
II.		**ऋण वर्धन के पुनर्निर्धारण के समय स्थिति**				**ऋण वर्धन के पुनर्निर्धारण के समय स्थिति**	
6		**बकाया ऋण की राशि**		**400**		**400**	
7		**बकाया पीटीसी की राशि**		**420**		**500**	
8		**उपलब्ध ऋण वर्धन**					
क		**उपलब्ध प्रथम हानि ऋण वर्धन की राशि** क. मूल ऋणदाता द्वारा ख. तृतीय पक्षों द्वारा		**100** 50 50		**80** 40 40	
ख		उपलब्ध द्वितीय हानि ऋण वर्धन की		**50**		**50**	

		राशि क. मूल ऋणदाता द्वारा ख. तृतीय पक्षों द्वारा		25 25		25 25	
9		**क. 365[i] दिनों तक की अनियमितताओं** **ख. और अधिक समयावधियों (365 [ii] दिनों से अधिक) में अनियमितताओं के लिए अतिदेय ब्याज और मूलधन की राशि**		**15** **10**		**25** **20**	
10		**और अधिक समयावधियों में अनियमितताओं के लिए भविष्य के बकाये मूलधन की राशि (365 दिनों से अधिक)**		**25**		**70**	
11		**उक्त (9) और (10) में अव्यक्त अन्य हानियों की राशि**		**5**		**10**	
		कुल [9(क)+9(ख)+10+11]		**55**		**125**	
III.		**विभिन्न नियमों एवं शर्तों का अनुपालन**					
12	पैरा 2	**ऋण वर्धन का स्वरूप**		बाह्य	पालन किया गया	बाह्य	पालन किया गया
13	2 (i)	**रेटिंग्स** क. वरिष्ठ ट्रांश ख. द्वितीय हानि		एएए बीबीबी	पालन किया गया	एएए बीबीबी	पालन किया गया
14	2 (iii)	**क्या पुनर्निर्धारण न्यासियों की सहमति के अधीन किया जा रहा है**		हां	पालन किया गया	हां	पालन किया गया
15	2 (iv)	**क. क्या पुनर्निर्धारण के बारे में संविदा की मूल शर्तों में विचार किया गया था** **ख. यदि (मौजूदा संविदाएं) नहीं, क्या पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतियों के समस्त निवेशकों की सहमति के अधीन किया जा रहा है**		हां लागू नहीं	पालन किया गया		
16	2 (ii)	**रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित (सीआरए द्वारा उपलब्ध कराई गई) ट्रांशों की रेटिंग बरकरार रखने के लिए ऋण वर्धन की अपेक्षित राशि**		**100**		**120**	
17	3 (क)	**परिशोधित मूलधन की राशि (पूल परिशोधन)**		600 [(1-6)/1]	60%-पालन किया गया	600	60%-पालन किया गया
18	3 (ख)	**(i) <u>ट्रीगर 1</u>** क. अतिदेय ऋण (365 दिनों तक की अनियमितताएं) ख. और अधिक समयावधियों की अनियमितताओं हेतु जोखिम में मूल्य	15 35 (10 + 25) **[9(ख)+10]** 5			25 90 (20 + 70) **[9(ख)+10]** 10	

[i] लेनदेन की अवधि को 2 वर्ष से अधिक होना माना गया है।

[ii] यदि कुछ आस्तियों को 365 दिन पूरा होने से पहले (मान लीजिए कि 90 दिन के बाद) ही अवसूलनीय करार दिया जाता है, तो इन आस्तियों से संबंधित जोखिम के अंतर्गत संपूर्ण मूल्य (अतिदेय तथा भावी मूलधन बकाया) को तुरंत, बिना 365 दिनों तक प्रतीक्षा किए, शामिल कर लिया जाएगा।

		ग. अन्य हानियां					
		घ. कुल हानियां ड. ऋण परिशोधन समायोजित ऋण वर्धन च. ऋण परिशोधन समायोजित ऋण वर्धन का 50%	[600/1000 200]	55 120 60	**ट्रीगर I** का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि 55<60	125 120 60	**ट्रीगर I** का उल्लंघन हुआ क्योंकि 125>60
		(ii) <u>ट्रीगर 2</u> क. अतिदेय ऋण (365 दिनों तक की अनियमितताएं) ख. और अधिक समयावधियों की अनियमितताओं हेतु जोखिम में मूल्य ग. अन्य हानियां	15 35 (10+25) **[9(ख)+10]** 3			25 90(20 + 70) **[9(ख)+10]** 5	
		घ. कुल हानियां ड. ऋण परिशोधन समायोजित ऋण वर्धन च. ऋण परिशोधन समायोजित ऋण वर्धन का 50%		53 150 [8क +8 ख] 75	**ट्रीगर I** का उल्लंघन नहीं हुआ क्योंकि 53<75	120 130 [8क +8 ख] 65	**ट्रीगर I** का उल्लंघन हुआ क्योंकि 120>65
19	4 (क)	**आरक्षित न्यूनतम (200 का 30%)**		**60**	60 पालन किया गया	100	प्रासंगिक नहीं क्योंकि ट्रीगर I और II के उल्लंघन के कारण कोई पुनर्निर्धारण नहीं हो सकता
20	4 (ख)	**आहरण करने योग्य राशि** क. अतिरिक्त ऋण वर्धन ख. आहरणीय राशि	**(150-100) [18(ii) (ड)-16]** **(50 का 60%) [20(क) का 60%]**	**50** [iii] **30**			
21	4 (ग)	**क. अपेक्षित एमआरआर** **ख. एफएलसीई से मुक्त की जा सकनेवाली राशि, जिससे एसएलसीई की रेटिंग बरकरार रहे (सीआरए द्वारा उपलब्ध कराई गई)** **ग. प्रथम हानि से आहरण के बाद उपलब्ध राशि** **घ. मूल ऋणदाता का शेयर** **ड. एसएलसीई से मुक्त की जानेवाली राशि** **च. द्वितीय हानि से आहरण के बाद उपलब्ध राशि** **छ. मूल ऋणदाता का शेयर**	**420 का 10%** **100-20 = 80 [8 क – 21 (ख)]** **80 का 50% [21 (ग) का 50%** **30-20 [20(ख)-21(ख)]** **50-10 [8ख-21(ड)]** **40 का 50% [21(च) का 50%]**	**42** **20** **80** **40** **10** **40** **20**	42<57 पालन किया गया (देखें 21(i)		

[iii] पुनर्निर्धारण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि की गणना न्यूनतम आरक्षित राशि पूरा करने की शर्त पर की जाएगी। इसलिए इस परिपत्र के अनुसार रेटिंग बरकरार रखने के लिए अपेक्षित ऋण वर्धन 60 से कम (मान लीजिए की 40) होने पर भी, इस उदाहरण में की गई गणना के अनुसार 60 की न्यूनतम आरक्षित राशि की अपेक्षा का पालन किया जाएगा अर्थात् पुनर्निर्धारण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि 150-60=90 होगी न कि 150-40=110 ।

		ज. वरिष्ठ ट्रांश में मूल ऋणदाता का निवेश झ. मूल ऋणदाता द्वारा कुल निवेश ञ. एमआरआर के लिए पात्र मूल ऋणदाता द्वारा कुल निवेश	**[(40/1000)* 420]** **[(5(ख)/1)* 7]** **17+40+20** **[21(ज)+21(घ)+21 (छ)]** **17+40** **[21(ज)+21(घ)**	**17** **77** **57**			
21		**क. प्रथम हानि ऋण वर्धन की राशि जो अंतिम रूप से आहरणीय है** **ख. द्वितीय हानि ऋण वर्धन की राशि जो अंतिम रूप से आहरणीय है**		**20** **10**			